

PRESS RELEASE

हापुड़ पुलिस

दिनांक:-अक्टूबर 16,2020

आगामी त्योहारों पर खाद्य पदार्थों (देशी/वनस्पति घी व रिफाइन्ड इत्यादि) में पशुओं की चर्बी मिलाकर सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमाने वाले गिरोह का थाना हापुड़ नगर पुलिस ने पर्दाफाश कर 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशानदेही पर 12 टायरा ट्रक में भरे 67 ड्रम पशुओं की चर्बी से भरे हुए (कीमत लगभग 05 लाख रु0), विभिन्न मार्का के 73 खाली ड्रम, तीन अदद प्लास्टिक कैमिकल से भरी हुई तथा अन्य सामान बरामद

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15/16.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड़ व अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशानुसार प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सक्सेना कोतवाली हापुड़ नगर के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 सरवन गौतम व उ0नि0 राजीव शर्मा मय टीम के साथ संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/अवैध शराब/अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु पुरानी चुंगी बु0शहर रोड पर चैकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि जोगीपुरा गंगोह जनपद सहारनपुर से 12 टायरा ट्रक में 67 ड्रमों से पशुओं की चर्बी से भरे हुए है जिसे सरगना खालिद अपने 02 अन्य साथियों के साथ आवास-विकास बु0शहर रोड स्थित गोदाम में भण्डारण हेतु ला रहा है, जो आगामी त्योहारों पर खाद्य पदार्थों (देशी/वनस्पति घी व रिफायंड इत्यादि) में मिलाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आसपास के जनपदों में सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमाते हैं यदि जल्दी की जाये तो ये लोग पकड़े जा सकते हैं, मुखबिर की बात पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से 12 टायरा में भरे हुए 67 ड्रम सहित 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कब्जे/निशानदेही पर 12 टायरा ट्रक में भरे 67 ड्रम पशुओं की चर्बी से भरे हुए (कीमत लगभग 05 लाख रु0), विभिन्न मार्का के 73 खाली ड्रम, तीन अदद प्लास्टिक कैमिकल से भरी हुई तथा अन्य सामान बरामद किया गया।

यह गिरोह उक्त चर्बी को परिवहन करने में इसे टयूलिप रिफाइन्ड का नाम देकर इस नाम से फर्जी बिल काट इन बिल का प्रयोग करते हैं। यह गिरोह जनपद में चोरी छिपे स्थान बदलकर काफी दिनों से सक्रिय था। खाद्य पदार्थों में पशुओं की चर्बी मिलाकर धोखाधड़ी से करके अवैध भण्डारण करता है जो अपने साथियों के साथ मिलकर आने वाले त्योहारों पर खाद्य पदार्थों में मिलाकर आसपास के जनपदों में लोगों को गुमराह व धोखाधड़ी करके खाद्य पदार्थों में मिलावट हेतु पशुओं की चर्बी को सप्लाई करते हैं जो जनता के व्यक्तियों के जीवन के लिए काफी गम्भीर रूप से हानिकारक है।

कृत कार्यवाही का विवरण:-

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 691/2020 धारा 420/468/471/269/272 भादवि पंजीकृत किया गया है।

❖ गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1-खालिद पुत्र साबिर निवासी मौहल्ला कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 2-तौसीफ पुत्र तुफैल अहमद निवासी पुराना बाजार सराय गद्दापाडा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 3-असलम पुत्र इसराफिल निवासी बोकारो, बोकारो स्टील सिटी थाना बोकारो झारखण्ड।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-12 टायरा ट्रक नं0 जेएच09एल 3585 में 67 ड्रम पशुओं की चर्बी से भरे हुए जिसकी कीमत लगभग 05 लाख रु0।
- 2-विभिन्न मार्का के 73 खाली ड्रम।
- 3-तीन अदद कैम प्लास्टिक जिनमें लगभग 300 लीटर कैमीकल भरा हुआ है।
- 4-एक अदद बिल-बुक।
- 5-एक अदद बिल की रसीद।
- 6-एक अदद परात।

❖ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम :-

- 1-उ0नि0 गौतम थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 2-उ0नि0 राजीव शर्मा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 3-मुख्य आरक्षी रामनिवास थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 4-मुख्य आरक्षी मजहर अली थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 5-पीआरडी संदीप शर्मा थाना हापुड़ नगर